न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04 / 2025

गंगासिंह पुत्र स्व. श्री इन्द्रसिंह जाति राजपुरोहित आयु 53 वर्ष

2. रामेश्वर पुत्र श्री घीसा जाति जाट आयु 48 वर्ष सर्व निवासी पुरोहितों की गुवाडी, वार्ड नं. 08 ग्राम भुंवाड़ा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, किशनगढ जिला अजमेर (राजस्थान.)

–अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक: 21/4/2025

उपस्थितः श्री हनुमान प्रसाद शर्मा प्रार्थी अभिभाषक
पैराकार सरकार अप्रार्थी

# निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा के माध्यम से राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि – प्रार्थीगण ग्राम भुंवाड़ा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.) के स्थाई निवासी है। ग्राम भुंवाड़ा तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.) में राजस्थान सरकार के खाता संख्या 01 में निम्न कृषि भूमि स्थित है जो निम्न प्रकार है :– खाता संख्या 01 खसरा नं. 108 रकबा 0.1294 हैक्टेयर किस्म मन्दिर दर्ज है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 02 में वर्णित भूमि ख़सरा नम्बर 108 के एकीकरण पूर्व खसरा नम्बर 225 रकबा 16 बिस्वा किस्म बंजड़ दोयम सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2019 में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 02 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 16 बिस्वा किस्म बंजड दोयम एकीकरण जमाबन्दी सम्वत 2019 में दर्ज है। एकीकरण जमाबन्दी पश्चात वर्किंग जमाबन्दी के सरकारी खाता संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 16 बिस्वा को किस्म बंजड़ दोयम से बिना किसी आदेश के, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश से अविधिक रूप से गैर मुमकिन मन्दिर दर्ज किया गया है जो गलत इन्द्राज बदस्तूर आज दिन तक वर्तमान जमाबन्दी में किस्म मन्दिर के रूप में दर्ज चला आ रहा है। खसरा नम्बर 108 रकबा 0.1294 (16 बिस्वा) भूमि का राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में किस्म बंजड़ दोयम के स्थान पर गलत रूप से किस्म मन्दिर के रूप में इन्द्राज किया गया है

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

जिस इन्द्राज को पुनः शुद्ध किया जाकर लिपिकीय त्रुटी को जो अविधिक रूप से या सहवन से दर्ज कर दी गई है उसे शुद्ध कर किस्म मन्दिर के स्थान पर किस्म बंजड़ दोयम किया जाना न्यायहित व ग्रामवासियों के हित में आवश्यक है। ग्राम भुंवाड़ा, ग्राम पंचायत टिकावड़ा में सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक खुला तिबारा निर्माण कार्य हेतु 5,00,000/- रूपये सांसद मद (लोकसभा) सांसद कोष से स्वीकृत किये जा चुके है किन्तु गलत रूप से खसरा नम्बर 108 की किस्म बंज़ड़ दोयम के स्थान पर मन्दिर दर्ज होने के कारण ग्राम का विकास कार्य गलत इन्द्राज के कारण बाधित हो रहा है जिस कारण यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में शुद्धी हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 108 की किस्म बंजड़ दोयम के स्थान पर मन्दिर गलत रूप से दर्ज हो रखी है इसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 15.07.2024 को प्रकरण में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के द्वारा भूमि की किस्म मन्दिर दर्ज होने के कारण ग्राम विकास हेतु तिबारा का निर्माण सांसद कोष से न हो पाने की जानकारी मिलने पर उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन जारी है। प्रार्थीगण को ग्राम भुंवाड़ा के स्थाई निवासी होने एवं सांसद कोष से करवाये जा रहे सार्वजनिक हित के कार्य से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने के कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम भुवाड़ा तहसील किशनगढ जिला अजमेर की भूमि खसरा नम्बर 108 की किस्म " मन्दिर" के स्थान पर बंजड़ दोयम " किये जाने एवं राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः श्रीमान् न्यायालय से बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगणनिम्न अनुतोष की प्रार्थना है कि ग्राम भुवाड़ा तहसील किशनगढ के खाता संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 108 की किस्म " मन्दिर " के स्थान पर " बंजड़ दोयम " किये जाने एवं राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश पारित फरमावे।

3. अप्रार्थी द्वारा दिनांक 17.03.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का बिन्दु सं. 2 स्वीकार है कि ग्राम भूवाडा की जमाबन्दी संम्वत 2069–72 के खाता सं. 1 मे ख. नं. 108 रकबा 0.1294 हैक्टर किस्म मन्दिर बिलानाम खाते मे दर्ज है एवं बिन्दु सं. 3 स्वीकार है कि ग्राम भूवाडा की वर्तमान जमाबन्दी संम्वत 2069–72 के खातासं. 1 मे ख. नं. 108 रकबा 0.1294 हैक्टर किस्म मन्दिर बिलानाम खाते में दर्ज है उक्त ख. न. 108 के एकीकरण ख.न. 108 रकबा 00–16–00 बिस्वा किस्म बंजर दोयम व सेटलमेंट ख.न. 225 रकबा 00–16–00 बिस्वा किस्म बंजर दोयम दर्ज है।

4. प्रार्थना पत्र में दिनांक 21.04.2025 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम भुंवाडा के वर्तमान खसरा संख्या 108की किस्म ''मन्दिर'' के स्थान पर ''बंजर दोयम'' दर्ज करने की कृपा करें।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा पेश

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

.नुसार राजस्व रिकार्ड में वादअधीन भूमि वर्तमान खाता संख्या 01 खसरा संख्या 108 की किस्म वर्तमान में "मन्दिर " दर्ज है किन्तु एकीकरण खसरा संख्या 108 की किस्म बंजड दोयम दर्ज है तथा सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2010–2019 में खसरा संख्या 205 की किस्म बंजड दोयम दर्ज है। हमारे द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड से ताईद है कि सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2010–2019 में खसरा संख्या 205 की किस्म बंजड दोयम दर्ज है एवं एकीकरण खसरा संख्या 108 की किस्म बंजड दोयम दर्ज है जिसे बाद में बिना किसी सक्षम आदेश के किस्म परिवर्तन कर "मन्दिर " दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राज. अधि. के तहत स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसरण में एवं लोकहित की भावना अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को राजस्व ग्राम भुंवाडा पटवार हल्का भुंवाडा तहसील किशनगढ स्थित वादअधीन भूमि खाता संख्या 01 के खसरा संख्या 108 रकबा 0.1294 की किस्म "मन्दिर" के स्थान पर पूर्ववर्ती रिकार्ड के अनुसार "बंजड दोयम " दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीदार किशनगढ उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। शेष जमाबन्दी इन्द्राज बदस्तुर रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21/4/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा सहारण)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़